

2017/00141

न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी—श्री शिवप्रसाद एम.नकाते आई.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 31/2017

अपीलांत

नरपतराम पुत्र गुणेशाराम जाति
कुम्हार निवासी ऊटल
तहसील, शिव

बनाम

रेस्पोडेंट

राजस्थान राज्य जरिये
तहसीलदार, शिव

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम
विरुद्ध आदेश 05.07.2017 बमुकदमा संख्या 36/2017 द्वारा
तहसीलदार, शिव

उपस्थित:—1. श्री अम्बालाल जोशी अधिवक्ता की ओर से।
2. श्री सोहन दवे राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेंट की ओर से।

निर्णय

दिनांक 13.12.2017

1. अपीलांत ने यह अपील तहसीलदार, शिव द्वारा प्रकरण संख्या 36/17 में पारित आदेश दिनांक 05.07.2017 के विरुद्ध धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम के तहत हमारे समक्ष पेश की है।
2. संक्षेप में अपीलांत की अपील के तथ्य इस प्रकार है कि पटवारी हल्का राजड़ाल ने तहसीलदार, शिव के समक्ष इस आशय का पेश किया कि अपीलांत-नरपतराम ने सम्वत् 2074 में मौजा ऊटल के खसरा नम्बर 377 रकबा 2-00 बीघा किस्म गैर मगरा सरकारी भूमि पर कच्ची बाड़ व तारबन्दी बनाकर अतिक्रमण किया है। इस पर तहसीलदार, शिव ने प्रकरण संख्या 36/17 दर्ज कर बाद, जाँच एवं सुनवाई अपीलाधीन आदेश दिनांक 05.07.2017 द्वारा अपीलांत को पश्चात्वृत्ति अतिक्रमी घोषित करते हुए प्रश्नगत भूमि से बेदखल करने के आदेश पारित किये, 12/-जुर्माना आरोपित किया एवं दो माह की सिविल कारावास की सजा भुगताने के भी आदेश पारित किये। इस आदेश से व्यथित होकर अपीलांत ने यह अपील हमारे समक्ष पेश की है। हमने अपील अपीलांत दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेंट को सम्मन किया एवं अपीलाधीन पत्रावली तलब की।
3. हमने दोनों पक्षों की बहस सुनी। अपीलांत के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क है कि अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांत को सुनवाई हेतु नोटिस जारी नहीं किया है। आदेशिका में अपीलांत की अनुपस्थिति अंकित कर पटवारी के बयान लेकर अपीलांत की अनुपस्थिति में समस्त कार्यवाही कर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। अपीलांत को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया है, जो प्राकृतिक न्याय के

जिला कलक्टर

बाड़मेर

प्रतिकूल है। अपीलांत पश्चात्वृत्ति अतिक्रमी नहीं है। अपीलांत को मौके पर आकर पटवारी हल्का द्वारा बेदखल नहीं किया गया। पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट एवं दिये गये बयानों पर तार्किक विवेचन कर जिरह का अवसर नहीं दिया गया है। अपीलांत पश्चात्वृत्ति अतिक्रमी नहीं है। उन्होंने तर्क दिया कि विवादित खसरा नम्बर 377 के सेढा-सेढ खसरा नम्बर 467/40 रकबा 23 बीघा का आवंटन वर्ष 1962 में अपीलांत के दादा लूणा को हुआ था। लूणा के देहावसन पर लूणा के तीन पुत्रों के नाम भूमि दर्ज हुई। तीनों पुत्रों के नाम की उक्त खसरे में कब्जा काश्त होने से ढाणीया, टांका वगेरा बने हुए विवादग्रस्त भूमि पर अपीलांत ने अतिक्रमण हटा दिया है, जुर्माना की राशि अदा कर दी है। इसलिये सिविल कारावास की सजा माफ की जाए। इसके जवाब में राजकीय अभिभाषक का यह तर्क है कि अपीलांत ने सम्वत् 2073 में भी अतिक्रमण किया था और उसे बेदखल किया गया था। अपीलांत ने इस भूमि पर सम्वत् 2074 में पुनः अतिक्रमण किया है। अपीलांत पश्चात्वृत्ति अतिक्रमी है। अपीलांत की अतिक्रमण करने की प्रवृत्ति को छुड़ाने हेतु अधीनस्थ न्यायालय ने जो आदेश पारित किया है, वह सही है। लिहाजा अपीलांत की अपील खारिज की जाए।

6. हमने दोनों पक्षों के तर्कों पर मनन किया। अपीलाधीन पत्रावली एवं तहसीलदार, शिव से प्राप्त मौका रिपोर्ट का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। पटवारी हल्का राजडाल की रिपोर्ट अनुसार अपीलांत द्वारा मौजा ऊटल के खसरा नम्बर 377 रकबा 2-00 बीघा किस्म गैर मुमकिन मगरा सरकारी भूमि पर कच्ची बाड़ व तारबन्दी कर अतिक्रमण करने पर अपीलांत के विरुद्ध धारा 91 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर, अपीलांत को सुनवाई हेतु पेशी तारीख 19.4.2017 का नोटिस जारी किया गया, जो अपीलांत पिता गुणेशाराम द्वारा तामिल किया गया है। अपीलांत पैरवी हेतु उपस्थित नहीं हुआ है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट एवं बयान अनुसार अपीलांत द्वारा इस भूमि पर सम्वत् 2073 में भी अतिक्रमण किया गया था जिस पर मुकदमा संख्या 650/16 दर्ज किया जाकर आदेश दिनांक 06.12.2016 द्वारा अतिक्रमी घोषित कर प्रश्नगत भूमि से बेदखल करने एवं जुर्माना आरोपित करने के आदेश दिये थे जिस पर अपीलांत को भौतिक रूप से बेदखली की कार्यवाही की जाकर कब्जा बहक सरकार प्राप्त किया है, जिसकी बेदखली एवं कब्जा प्राप्ति रिपोर्ट की प्रमाणित प्रति पत्रावली पर मौजूद है। इससे प्रकट है कि वादग्रस्त आराजी पर अपीलांत पश्चात्वृत्ति अतिक्रमी है। अतः उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट हैं कि अपीलांत द्वारा दुबारा अतिक्रमण किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांत को बेदखल करने, जुर्माना आरोपित करने एवं सिविल कारावास भुगताने का जो अपीलाधीन आदेश पारित किया है वह सही एवं न्यायोचित है, इस स्टेज पर अधिवक्ता अपीलांत ने निवेदन किया कि अपीलांत भूमिहीन एवं गरीब काश्तकार है। अपीलांत ने जुर्माना की राशि अदा कर दी है व भूमि से कब्जा हटा दिया

जिला कलेक्टर
बाड़मेर

है। इसलिये सिविल कारावास की सजा माफ की जाएं। इस सम्बन्ध में तहसीलदार शिव से प्राप्त मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। मौका रिपोर्ट अनुसार अतिकमी ने वर्तमान में अपना कब्जा हटा लिया है और अतिक्रमित भूमि वर्तमान में खाली है एवं सरकारी कब्जे में है। इस पर हमने गौर किया। अपीलांट ने भूमि पर कब्जा छोड़ दिया है, और अतिक्रमित भूमि खाली एवं सरकारी कब्जे में है। लिहाजा अपीलांट के प्रति सहानुभूति का रूख अपनाते हुए सिविल कारावास की सजा माफ की जाती है।



(शिवप्रसाद (शिवमकाते)
जिला कलक्टर बाडमेर
जिला कलक्टर
बाडमेर

निर्णय आज दिनांक 13.12.2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

जिला कलक्टर बाडमेर
जिला कलक्टर
बाडमेर